न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 02/2024

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0(पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) पंजीकृत कार्यालय—19—ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 तथा कार्यालय—जी—18, बापूजी मार्ग, आईओसी पैट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मीणा

.... प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. प्रेम प्रकाश शर्मा, (बोरोवर) पता—गांव—गढोरा जिला दौसा (राज0) 303501
2. श्रीमती पूनम देवी शर्मा (को बोरोवर) पता—गॉव गढोरा जिला दौसा (राज0) 303501 अन्य पताः प्रोपर्टी सिच्वेटेड एट पटटा नंबर 27, मिसल नंबर 36, गांव—गढोरा, कालाखो, तहसील सिकराय जिला दौसा (राज.)

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलवाये जाने हेतु।

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 28.2.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) ने अप्रार्थी/ऋणी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा निवासी ग्राम गढोरा जिला दौसा व अन्य को 8,75,000/—(अक्षरे रूपये आठ लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) को सुना गया। हमने प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति प्रोपर्टी सिच्वेटेड एट पटटा नंबर 27, मिसल नंबर 36, गांव गढोरा, कालाखो तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 239.12 वर्गगज है जो कि श्रीमती पूनम देवी पत्नि श्री प्रेमप्रकाश शर्मा के नाम है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0(पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से [illegible]।

आदेश आज दिनांक [illegible] न्यायालय से सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:55:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा